

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर

समक्ष

डॉ० मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2618-तीन/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक
30-5-2014 - पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी -
प्र० क्र० 127/13-14 स्वमेव निगरानी

विवेक पुत्र बादलसिंह ग्राम मझारी
तहसील टप्पा बदरवास परगना कोलारस
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध
मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदक


(आवेदक के अभिभाषक श्री सी०एम०गुप्ता)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी०के०शुक्ला)

आदेश

(आज दिनांक 07 नवम्बर 2015 को पारित)

अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 127/
2013-14 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-5-14 के
विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत
यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि भूदान बोर्ड से पट्टे पर प्राप्त
भूमियों की सक्षम अनुमति बिना विक्रय वावत् जांच हेतु गठित
समिति की छानवीन में पाया गया कि ग्राम मझारी स्थित भूमि स.
क्र. 67,68,69,74,152,154 कुल किता 6 कुल रकबा 1.09 है.
को भूदान पट्टाग्रहीता बिहारी पुत्र पोतलिया जाटव ने कलेक्टर की
अनुमति लिये बिना विक्रय कर दिया है जो खसरे में आवेदक
विवेक पुत्र बादलसिंह के नाम दर्ज पाई गई। अधीक्षक भू अभिलेख,
शिवपुरी से उक्त आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर
शिवपुरी ने आवेदक के विरुद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक
127/13-14 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक
30-5-2015 पारित किया तथा भूदान भूमि के पट्टाग्रहीता द्वारा
कलेक्टर से अनुमति लिये बिना भूमि विक्रय कर देने के कारण




के अवैध होने से इस अंतरण के वाद हुये अंतरणों को भी निरस्त कर दिया तथा भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदक एवं अनावेदक के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-14 के विरुद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में दिनांक 14-8-15 को प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में प्रावधान है कि संहिता की धारा 165 के अधीन कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त/ अपर आयुक्त को होगी एवं आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष की जायेगी। आवेदक की ओर से निगरानी को अपील में सुने जाने हेतु न तो बहस के दौरान मांग रखी गई है और न ही तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अग्राह्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 127/ 2013-14 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-5-14 यथावत् रहता है।



(डॉ० मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म०प्र० ग्वालियर